U;k;ky; HkkicU/k vf/kdkjh ,o inu
jktLo vihy ikf/kdkjh chdkuj
v'kkd lkxok vkj0,0,l0

vihy l0 14@2023

1. जैताराम पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट निवासी नब्बासर तहसील बीदासर जिला चूरू ।

vihykV

cuke

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी नब्बासर तहसील बीदासर जिला चूरू ।
2. सोहन पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी नब्बासर तहसील बीदासर जिला चूरू ।
3. मुलाराम पुत्र जेनाराम जाति जाट निवासी नब्बासर तहसील बीदासर जिला चूरू ।
4. सोहनराम पुत्र जेनाराम जाति जाट निवासी नब्बासर तहसील बीदासर जिला चूरू ।
5. राजस्थान सरकार

jLikUM.V l

mifLFkr%& 1. श्री महेश सींवर अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संजय प्रकाश गोयतान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh chnklj
vkns'k fnukd 12-05-2022 ds fo:} vihy
vUrxZr /kkjk 225 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—29.09.2023

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय बीदासर के प्रार्थना पत्र सं0 217/2022 अनुवान ओमप्रकाश बनाम जैताराम में निर्णय दिनांक 12.05.2022 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । खेत खसरा नम्बर 359/61 तादादी 6.3485 हैक्टेयर, 360/61 तादादी 3.2627 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 321/62 तादादी 4.0215 हैक्टेयर कृषि भूमि ग्राम नब्बासर तहसील बीदासर में स्थित है । उक्त वादगत कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंटान की खातेदारी की कृषि भूमि है । उक्त वादगत कृषि भूमि में रेस्पोंडेंटान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करवा सहमती पत्र बनवाकर नया रास्ता कायम किया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट अभिभाषक ने अपनी अपील के समर्थन में बहस में निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 359/61 तादादी 6.3485 हैक्टयर, ख0न0 360/61 तादादी 3.2627 हैक्टयर ख0न0 321/62 तादादी 4.0215 हैक्टयर वाके रोही नबासर तहसील बीदासर में स्थित है । वादगत कृषि भूमि में रेस्पो0 सं0 3 व 4 ने फर्जी तरिके से अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 व 2 की कृषि भूमि ख0न0 359/61 एवम 360/61 में से रास्ता निकालने एवम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु खाली पन्नो पर धोखे से हस्ताक्षकर करवाकर उनपर सहमति पत्र टाईप करवा अधीनस्थ न्यायालय से रास्ता मंजुर करवा लिया जिसकी एफआईआर थाना साण्डवा में दर्ज की हुई है जबकि ख0न0 359/61 एवम 360/61 में से ना कभी रास्ता था एवम ना ही वर्तमान में कोई रास्ता चल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पो0 सं0 1 व 2 कभी भी उपस्थित नही हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को बिना सुने व अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर कर जो रास्ता कायम करवाया है, जो न्यायोचित नही है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 की पालना स्थगित करवाने का श्रम करावें ।

3. रेस्पो0 अभिभाषक ने अपीलांट अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 359/61 तादादी 6.3485 हैक्टयर, ख0न0 360/61 तादादी 3.2627 हैक्टयर ख0न0 321/62 तादादी 4. 0215 हैक्टयर वाके रोही नब्बासर तहसील बीदासर में स्थित है । ख0न0 359/61 से ख0न0 360/61 में से ख0न0 321/62 में से एक कदीमी रास्ता चलता है जो कि बारह मासी आवागमन के लिये चालू रहता है, जिससे सभी

पक्षकार अपने जोत में आवागमन के लिये आना जाना करते है । उक्त रास्ता राज्य सरकार के नियमानुसार हमारी खातेदारी कृषि भूमि में से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के लिये अपीलांट व रेस्पोडेटान द्वारा सहमति पत्र भरकर दिया गया जो कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया हुआ है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बाद जांच दिनांक 12.05.2022 को रास्ता कायम करने का आदेश दिया गया किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय में स्थगन प्राप्त कर लिया जिससे रेस्पोंडेंटान अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन नही कर सकते ना ही अपनी फसल की कटाई का कार्य कर सकते है । अपीलांट द्वारा सहमति पत्र पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करवाना अंकित किया गया है जो असत्य है । अपीलांट एक अनपढ़ व्यक्ति है जो हस्ताक्षर नही कर सकता है अगुंठा निशान का प्रयोग करता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमियो में से आवागमन का जो रास्ता कायम किया है वो सभी पक्षकारों की सहमति से कायम किया गया है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2022 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सूनी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 359/61 तादादी 6.3485 हैक्टयर, ख0न0 360/61 तादादी 3.2627 हैक्टयर ख0न0 321/62 तादादी 4.0215 हैक्टयर वाके रोही नब्बासर तहसील बीदासर में स्थित है । वादगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कैम्प में सभी पक्षकारों की सहमति के आधार पर निर्णित किया गया है । पत्रावली में उपलब्ध सहमति पत्र व अपीलांट द्वारा अपील में स्वयं यह स्वीकार किया है कि ख0न0 359/61 व 360/61 में से रास्ता निकालने हेतु एवम राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करने हेतु खाली पन्नो पर धोखे से हस्ताक्षर करवा लिये व सहमति पत्र टंकण करवा लिया । इससे यह साबित है कि अपीलांट द्वारा स्वयं सहमति पत्र पर हस्ताक्षर/अगुंठा निशान किये गये है जिनकी तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणसर पंचायत समिति बीदासर द्वारा की गयी है । हस्ताक्षर फर्जी तरीके से लिये गये या नही इसका निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । अपीलाट द्वारा स्वीकारोक्ति से साबित होता है कि हस्ताक्षर/अगुंठा करना उसके संज्ञान में था । इसकी सत्यता/निर्णय इस न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता, सिविल न्यायालय में किया जाना है । पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट में प्रस्तावित

रास्ता मौके पर चालू है व समस्त खातेदारों की सहमति भी दी गयी है । उसी सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा खसरा नम्बर 359／61 व 360／61 में से रास्ता निकाला गया है व राजस्व रेकार्ड में अंकन का आदेश दिया गया है जो न्यायोचित प्रतीत होता है ।

5. अतः उक्त किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारीज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.05.2022 को यथावत रखा जाता है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 29.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(v’kksd lkxok½
Hkkjrh; ç'kklfud lsok
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj